

(भारत के राजपत्र के भाग I खंड II में प्रकाशनार्थ)

सं 13017/50/2011-एआईएस (I)


भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 3.2.2014

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार और झारखंड सरकार की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा श्री आशीश सिंहमार, आईएएस (एचपी:08) की, हिमाचल प्रदेश संवर्ग से झारखंड संवर्ग में तीन वर्षों की अवधि के लिए अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करती है।


(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव भारत सरकार
टेलीफोन : 23092695

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)